रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 262] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 1971/चैत्र 23, 1893

No. 262] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 1971/CHAITRA 23, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th April 1971

S.O. 1572/IDRA/29B/71/7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 713/IDRA/29B/70/1, dated the 19th February, 1970, namely:—

In Schedule I annexed to the said notification, for item (3), the following item shall be substituted, namely:—

"(3) Milk Foods falling under '(2) Milk foods'; Malted foods falling under '(3) Malted foods' and Roller flour milling falling under '(4) Flour' under the heading '27 Food Processing Industries';

2. The Central Government hereby specifices a period of three months from the date of publication of this notification as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking engaged in the manufacture or production of any article or articles relatable to Milk foods and Malted foods industries shall carry on the business of the undertaking in respect of such article or articles. except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government, and in the case of a State Government, except under, and in accordance with, the previous permission of the Central Government.

[No. F. 4(11)/Lic.Pol./71.]

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1971

का० आ० 1572/आई०डी० आर० ए०/29 बी/71/7.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कंपनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 713/आई० डी० आर० ए०/29बी/70/1 तारीख 19 फरवरी, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची 1 में मद (3) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

"(3) 27-खाद्य संसाधन उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत आने वाले 3(2) दुग्ध-खाद्य के अन्तर्गत आने वाले दुग्ध-खाद्य, (3) माल्टेड खाद्य के अन्तर्गत आने वाले माल्टेड खाद्य और (4) आटा के अन्तर्गत आने वाली रोलर आटा पिसाई।"

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीन मास की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके अवसान के पश्चात किसी औद्योगिक उपक्रम का कोई स्वामी, जो दुग्ध-खाद्य या माल्टेड खाद्य उद्योगों से संबंधित किसी वस्तु या वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में लगा है, ऐसी वस्तु या वस्तुओं की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और अनुसार के सिवाय और राज्य सरकार की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्वअनुज्ञा के धीन और अनुसार के सिवाय उपक्रम का कारबार नहीं करेगा।

[सं० फा० 4(11)—एल० पी०/71

S.O. 1573/IDRA/29B/71/8.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 912/IDRA/29B/70/3, dated the 28th February, 1970, namely:—

In Schedule I annexed to the said notification, for item (3), the following item shall be substituted, namely:—

"(3) Milk foods falling under '(2) Milk foods', Malted foods falling under '(3) Malted foods' and Roller flour milling falling under '(4) Flour', under the heading '27 Food Processing Industries';"

2. The Central Government hereby specifies a period of three months from the date of publication of this notification as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking engaged in the manufacture or production of any article or articles relatable to Milk foods and Malted foods industries shall carry on the business of the undertaking in respect of such article or articles, except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government, and in the case of a State Government, except under, and in accordance with, the previous permission of the Central Government.

[No. F. 4(11)/Lic.Pol./71.]

का० आ० 1573/आई० डी० आर० ए०/29बी०/71/8.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कंपनी कार्य मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 912/आई डी आर ए/29 बी/70/3 तारीख 28 फरवरी, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची 1 में मद (3) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(3) 27-खाद्य संसाधन उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत आने वाले 3(2) दुग्ध-खाद्य के अन्तर्गत आने वाले दुग्ध-खाद्य (3) माल्टेड खाद्य के अन्तर्गत आने वाले माल्टेड खाद्य और (4) आटा के अन्तर्गत आने वाली रोलर आटा पिसाई।"

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीन मास की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके अवसान के पश्चात् किसी औद्योगिक उपक्रम का कोई स्वामी, जो दुग्ध-खाद्य या माल्टेड खाद्य उद्योगों से संबंधित किसी वस्तु या वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में लगा है, ऐसी वस्तु या वस्तुओं की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और अनुसार के सिवाय और राज्य सरकार की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्वअनुज्ञा के अधीन और अनुसार के सिवाय उपक्रम का कारबार नहीं करेगा।

[सं० फा० 4(11)/एल० पी०/71]

S.O. 1574/IDRA/29B/71/9.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industres (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S. O. 2443/IDRA/29/B/70/5 dated the 18th July, 1970, namely:—

In Schedule I annexed to the said notification, for item (3), the following item shall be substituted, namely:—

"(3) Milk foods falling under '(2) Milk foods' Malted foods falling under '(3) Malted foods' and Roller flour milling falling under '(4) Flour', under the heading '27 Food Processing Industries';"

2. The Central Government hereby specifies a period of three months from the date of publication of this notification as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking engaged in the manufacture or production of any article or articles relatable to Milk foods and Malted foods industries shall carry on the business of the undertaking in respect of such article or articles, except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government and in the case of a State Government, except under and in accordance with, the previous permission of the Central Government.

[No. F. 4(11)/Lic. Pol /71.]

K. D. N. SINGH,
Jt. Secy.

का० आ० 1574/आई० डी० आर० ए०/29बी/71/9.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2443/आई० डी० आर० ए०/29बी०/70/5 तारीख 18 जुलाई, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है ; अर्थात –

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची 1 में मद (3) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् –

"(3) 27– खाद्य संसाधन उद्योग शीर्षक के अंतर्गत आने वाले 3 (2) दुग्ध-खाद्य के अन्तर्गत आने वाले दुग्ध-खाद्य, (3) माल्टेड खाद्य के अंतर्गत आने वाले माल्टेड खाद्य और (4) आटा के अंतर्गत आने वाली रोलर आटा पिसाई ।"

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीन मास की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके अवसान के पश्चात् किसी औद्योगिक उपक्रम का कोई स्वामी, जो दुग्ध-खाद्य या माल्टेड खाद्य उद्योगों से संबंधित किसी वस्तु या वस्तुओं के विनिर्माण

या उत्पादन में लगा है, ऐसी वस्तु या वस्तुओं की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और अनुसार के सिवाय और राज्य सरकार की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्व-अनुज्ञा के अधीन और अनुसार के सिवाय उपक्रम का कारबार नहीं करेगा ।

[सं० फा० 4(ii)/एल० पी०/71]

के० डी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971